

हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अन्ततः धारा 212 अरटीएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में केंदियट दर्ज है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से तामिल करावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 04.09.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

04/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 14/9/24 को पेश हो।

12/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हो।

20/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 22/9/24 को पेश हो। गामिल बागीर डेरा

27/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 9/10/24 को पेश हो।

9/10/24

पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रार्थीगण हाजिर। अर्थात् सं. 1 की गामिल विधिगत ही चुकी है। बावजूद गामिल हाजिर नहीं। अतः अर्थात् सं. 1 के खिलाफ एकराज्य कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहम अधिवक्ता एमपक्षीय अस्पष्ट निषेधाज्ञा के बिन्दु पर चुकी गई। बहम भावेडन में वगैरह तथ्यों के अनुसारा रही। बहम पर मनन क्रियागमा एवं आवेदन करत्यों का अवलोकन किया गया। आवेदन के तथ्यों से तन्मुख होने पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अस्पष्ट निषेधाज्ञा

9¹⁰/₂₄

इस आशय से जारी की जाती है कि विवादित
भूमि खसरा नम्बर 851/651 रकबा 0.5166 हेक्टर
वाके साम भादवाली पटवार हल्का भादवाली तहसील
व जिला सीकर की भूमि की उभयपक्ष रिपोर्ट की
अवस्थास्थिति बनाये रखें। इषि कुंधार के अतिरिक्त
अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। उभयपक्ष
आदेश इषि कुंधार, बँक रहन, विद्युत कनेक्शन, चालू/
उपलब्ध। अगली रात पर लागू नहीं होगा। पत्रावली
फैसल झुमार होकर नम्बर से कम हो। कार्रवाई दफ्तर हो।
निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से कुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर